लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2852

उत्तर देने की तारीखः 13.03.2018

एनसीएससी की सिफारिशें

2852. डॉ. उदित राजः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) से पचासीवें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 के अनुपालन में जारी डीओपीटी के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में, दूरसंचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को जारी उसकी सिफारिशों की अवहेलना के संबंध में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) राज्य तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को एनसीएससी द्वारा जारी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त की अवज्ञा/उपेक्षा करने के संबंध में याचिकाकर्ताओं से वर्ष-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या सरकार का संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करते हुए एनसीएससी को अनुसूचित जातियों के हित में जारी सरकारी आदेशों की अवज्ञा करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री विजय साम्पला)

(क) : जी, हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को गलत ढंग से वरिष्ठता निर्धारित करने और 85वां संशोधन अधिनियम, 2001 को कार्यान्वित न करने के बारे में दूरसंचार विभाग (डीओटी) के अंतर्गत एमटीएनएल में कार्यरत अनुसूचित जाति के कुछेक अधिकारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। आयोग ने एमटीएनएल और दूरसंचार विभाग, दोनों से इस मामले में सुनवाई की थी। एनसीएससी ने दिनांक 12.10.2015 की अपनी अंतिम सुनवाई में दूरसंचार विभाग को डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस मामले की पुन: जांच करने और उसे 30 दिन की अवधि के भीतर कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी थी।

(ख) : दूरसंचार विभाग ने इस मामले की पुन: जांच की है और दिनांक 16.02.2017 के अपने पत्र (**अनुबंध-I**) के अनुसार एमटीएनएल के याचिकाकर्त्ताओं को सही वरिष्ठता देने के बारे में निर्णय लिया है।

(ग) : एनसीएससी द्वारा राज्यों और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को की गई सिफारिशें बाध्य स्वरूप की नहीं हैं।

(घ) : जी, नहीं।

(ङ) : विधि कार्य विभाग की यह राय है कि "एनसीएससी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य न्यायपालिका के अर्हताप्राप्त सदस्य नहीं हैं, निश्चित तौर पर वे न्यायाधीश के रूप में कार्य करते समय विधि न्यायशास्त्र का प्रयोग करने में असमर्थ होंगे और न ही उनसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पात्र होना अपेक्षित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सभी अनुसूचित जातियों के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय उपलब्ध हैं, अत:, आयोग को उच्च न्यायालय की पूर्ण शक्ति प्रदान करने के प्रयोजनार्थ वर्तमान संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

*****

ANNEXURE - 7

No. 14-2/2006-STG.II
Government of India
Ministry of Communications
Department of Telcom
(STG.II Section)
R.No. 419, Sanchar Bhavan, 20-Ashoka Road, New Delhi – 110 001.

Dated: 16.02.2017.

To,

The Chairman & Managing Director
MTNL, 5th Floor, Mahanagar Doorsanchar Sadan
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110003

Sub: Representation from Shri Achchhey Lal & Others Sr. SDE MTNL, New Delhi regarding fixation of seniority and denial of promotion in TES Group as per the 85th Amendment Act, of the Constitution.

Ref: MTNL's letter No.MTNL/CO/Pers II/Court Cases/2013/ 1548 dated 30.12.2016.

Sir,

I am directed to refer to letter under reference on the above mentioned subject and to state that Shri Achchhey Lal has already been absorbed in MTNL w.e.f. 01.10.2000 on permanent basis and he is no longer Govt. employee. The Personnel & Establishment matters such as promotion, seniority etc., of Shri Achchhey Lal are under the purview of MTNL only and DoT has no role to play in such matters.

2. The records, in original, relating to promotion, seniority, court cases, DPC etc., which were being dealt with by DoT prior to absorption of TES Group 'B' officers in MTNL/BSNL, have already been transferred to MTNL/BSNL for taking appropriate action at their end since there is no employee-employer relationship between the absorbed TES Group 'B' officers of MTNL/BSNL and DoT.

3. MTNL has also circulated the seniority list of their absorbed TES Group 'B' officers as intimated by MTNL by their letter dated 05.03.2009.

4. If, Shri Achchhey Lal is having any grievance regarding assignment of his seniority position, he should approach MTNL for re-dressal.

5. Shri Achchhey Lal has been knocking the doors of Commission at a regular intervals for such a relief which has already been granted to him by accelerating his seniority in the grade of TES Group 'B' Cadre from 17398 to 17198.056 as per Constitution (85th) Amendment Act-2001. However, the officer is claiming the seniority at 14146.070 which

was inadvertently assigned to him and later the same was withdrawn correctly, hence, the officer cannot claim for such seniority inadvertently granted and for which he is actually not entitled. The seniority claimed by Shri Achchhey Lal has not been accepted/considered by DoT.

6. It is therefore, requested that the action may be taken by MTNL at their end and a reply may be given to Shri Achchhey Lal accordingly.

Yours Faithfully

[Ajay Kumar V R]
Under Secretary to the Govt. of India
Tele No. 23036282/Fax No.23716099

issued
17/2/17